न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 54 / 2016

तारीख रजू – 14.06.2016

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

जमील अहमद पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान निवासी भैसापट्टीखुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली –वादी

विरूद्ध

1. गीता पत्नि स्वर्गीय बाबूलाल जाति सैनी (माली) निवासी भैसापट्टीखुर्द तहसील टोडाभीम
2. गल्ली पुत्री बाबूलाल पत्नि मदनसिंह जाति सैनी (माली) निवासी मजाजपुर नंगला तहसील बैर जिला भरतपुर
3. निर्मला पुत्री बाबूलाल पत्नि ज्वानसिंह जाति सैनी (माली) निवासी मजाजपुर नंगला तहसील बैर जिला भरतपुर
4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर) फॉरमल पक्षकार

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग

अर्न्तगत धारा 53 राज0टे0एक्ट

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट –पक्ष वादी

प्रतिवादीगण एकतरफा

निर्णय दिनांक 22.05.2017

वादी का दावा दिनांक 11.02.2017 को प्राथमिक डिक्रि किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया गया कि मुताबिक डिक्रि व कब्जा वादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 672 रकवा 0.17 हेक्टयर मे वादी का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी 14 / 15 का अलग खाता व लगान कायम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कर बटवारा स्कीम व ट्रेस न्यायालय मे प्रस्तुत करे इस आदेश की पालना मे तहसीलदार टोडाभीम से उक्त भूमि की बटवारा स्कीम मय ट्रेस प्राप्त हुई तथा खसरा नं0 672 रकवा 0.16 एयर को वादी के हिस्से मे तथा 672/1 रकवा 0.01 एयर भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता3 के हिस्से ट्रेस मे दर्शाया गया है।

न्याय आपके द्वार लोक अदालत राजस्व केम्प सन् 2017 का आज केम्प झाडीसा पंचायत मे है तथा राजस्व केम्प मे यह पत्रावली वास्ते निर्णय रखी गई है। पक्षकारान ने बटवारा स्कीम पर कोई आपत्ति नही की गई है। वकील वादी ने कथन किया कि मुताबिक बटवारा स्कीम मय ट्रेस दावा फाईनल डिकि कर दिया जावें। वादी का दावा काबिले डिकि पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग डिकि किया जाकर मुताबिक बटवारा स्कीम ग्राम भैसापट्टीखुर्द तहसील टोडाभीम की भूमि खसरा नं0 672 क्षेत्रफल 0.16 का वादी तथा 672/1 रकवा 0.01 एयर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। बटवारा स्कीम के साथ प्रस्तुत ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना हेतु आदेश जारी हो। पर्चा फाईनल डिग्रि जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर टोडाभीम
टोडाभीम (करौली)